राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 2007 / 2025

रवि कुमार खींची —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक (कार्मिक), माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 07.01.2024
आदेश की दिनांक : 07.03.2025

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री शिवात्मा कुमार टांक, अधिवक्ता

समक्ष :— चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में व्याख्याता ग्रेड–I के पद पर महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, श्योपुर, सांगानेर, जयपुर में कार्यरत हैं। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 12.01.2023 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, धामन्ना से महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, बासवदनपुरा, जयपुर स्थानान्तरणाधीन से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, श्योपुर, जयपुर में किया गया। जहां पर अपीलार्थी ने दिनांक 16.01.2023 (अनुलग्नक–4) को कार्यग्रहण कर लिया था। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 07.12.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से शहीद पूनितनाथ दत्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सांगानेर, जयपुर में किया गया था, जिनकी अनुसरण में प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 08.01.2025 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया। आलोच्य आदेश दिनांक 12.01.2023 के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन राजंती मीणा के स्थान पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, बासवदनपुरा में बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये किया गया था। राजंती मीणा द्वारा माननीय अधिकरण में दायर अपील संख्या 414 / 2023 बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 09.03.2024 (अनुलग्नक–5) के द्वारा स्थगन आदेश देते हुए अपील का

निस्तारण किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से कथन है कि अपीलार्थी नियमित कार्मिक है। अपीलार्थी वर्तमान स्थान पर अधिशेष कार्मिक नहीं है। अधिशेष कार्मिकों के समायोजन के संबंध में जारी दिशा–निर्देश दिनांक 14.11.2024 (अनुलग्नक–3) के विरूद्ध है। उनका आगे कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वर्ष 2022 एवं वर्ष 2023 में स्थानान्तरण किया गया था (अनुलग्नक–6)। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को हैरान व परेशान करने के लिए बार–बार स्थानान्तरण किया जा रहा है। इस संबंध में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी के पिताजी गम्भीर बीमारी से पीड़ित है। अपीलार्थी की पत्नी राजकीय सेवा में कार्यरत है एवं एक तीन वर्षीय पुत्र है। जिसकी देखभाल अपीलार्थी के द्वारा ही की जाती है। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 को परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 12.01.2023 की पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 16.01.2023 को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, श्योपुर ब्लॉक सांगानेर शहर में अपीलार्थी ने कार्यग्रहण किया था एवं इसी आदेश क्रमांक के अन्तर्गत श्रीमती राजन्ती मीणा (व्याख्याता इतिहास) को अन्य विद्यालय (म. गा. रा. वि. बासबदनपुरा–218919) में पदस्थापित किया गया। जिसके फलस्वरूप पूर्व में इसी विद्यालय में कार्यरत राजन्ती मीणा (व्याख्याता इतिहास) को दिनांक 16.01.2023 को उपरोक्त आदेश की अनुपालना में कार्यमुक्त किया गया था। श्रीमती मीणा ने नव पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करके लगभग एक महिने बाद न्यायालय (Tribunal) स्थगन के साथ इस विद्यालय (MGGS Shyour) पुनः कार्यग्रहण दिनांक 08.02.2023 को किया। इस कारण से राजन्ती मीणा अपीलार्थी रवि कुमार खींची (व्याख्याता इतिहास) से विद्यालय वरिष्ठता में कनिष्ठ हो गई। विभागीय आदेशानुसार अधिशेष अध्यापक/कार्मिकों की सूचना मांगे जाने पर विद्यालय प्रशासन द्वारा भी श्रीमती राजन्ती मीणा व्याख्याता इतिहास का अधिशेष व्याख्याता इतिहास के रूप में नाम भेजा गया था, विद्यालय द्वारा भेजी गई। शाला दर्पण पोर्टल पर भी अधिशेष व्याख्याता की सूची में श्रीमती राजन्ती मीणा का नाम ही प्रविष्ठ है। श्रीमती राजन्ती मीणा व्याख्याता इतिहास का अधिशेष शिक्षक के रूप में अन्य विद्यालय में समायोजन किया जाना था। परन्तु अधिशेष व्याख्याता राजन्ती मीणा के स्थान पर अपीलार्थी का व्याख्याता इतिहास को अधिशेष मानकर समायोजन शहीद पुनितनाथ दत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सांगानेर, जयपुर में कर दिया गया, जो कि विधि विरूद्ध है। परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 07.12.2024

एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 08.01.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को कार्यमुक्त नहीं करें। अपीलार्थी को व्याख्याता इतिहास के पद पर महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय श्योपुर, सांगानेर, जयपुर में निरन्तर कार्य करने दिया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. हम पाते हैं कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण अधिशेष मानते हुए उसी जिले में पदस्थापन किया गया। अपीलार्थी को अधिशेष माने जाने में हम कोई त्रुटि होना नहीं पाते हैं। अपीलार्थी द्वारा स्थानान्तरित स्थान पर दिनांक 16.01.2023 को कार्यभार ग्रहण किया गया था तथा श्रीमती राजन्ती मीणा द्वारा माननीय अधिकरण में दायर अपील संख्या 414/2023 में पारित आदेश दिनांक 09.03.2024 के द्वारा उभय पक्षकारों की सहमति से एवं लोक अदालत की भावना के अनुरूप अपील स्वीकार कर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश अपास्त किया गया था। साथ ही यह स्पष्ट किया गया था कि यदि प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी एवं निजी प्रत्यर्थी के संबंध में नवीन स्थानान्तरण आदेश पारित करता है तो यह आदेश उसमें बाधक नहीं होगा तथा तब तक अपीलार्थी एवं निजी प्रत्यर्थी यथा स्थान पर कार्य करते रहेगें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नये सिरे से आदेश दिनांक 07.12.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण शहीद पूनितनाथ दत्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सांगानेर, जयपुर में नियमानुसार किया गया है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अपने किस कार्मिक की सेवाएं प्रशासनिक आवश्यकताओं में किस स्थान पर प्राप्त करें। आलोच्य आदेश 07.12.2024 में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार प्रतीत नहीं होने के कारण अपील खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(चेतन राम देवडा)
सदस्य